

हरिश्च वनाम श्री सा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

राजस्व वाद संख्या 135 / 2024

दावा बाबत


आज्ञा विस्तृत रूप से

क.सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
-------	---------------------------------	--

10/11/25

पञ्जवली पैसा हुई वकील पार्थी डायरिज
 वकील श्यामी द्वारा जवाब पैसा नही करने पर
 जवाब बन्द किता जाता है। वकील पार्थी द्वारा
 जज को डायरिज निवेदन पर बटवस की जाती।
 वकील पार्थी की बटवस सुनी जाती। बटवस पर
 मनन किता जाता। पञ्जवली का डायरिज किता
 जाता। शूल वाड बेलकार का है। शूल वाड के
 निवेदन एक डायरिज निवेदन को कन्फर्म। स्वामी
 किता आना उचित समझते हैं।

डि.र. शा. न्यायालय के डायरिज दिनांक 4/12/24
 के द्वारा जमी डायरिज निवेदन को शूल वाड के
 निवेदन तक कन्फर्म। स्वामी किता आता है। पञ्जवली
 पैसल कुमार लेकर शूल वाड के एमफिल रहे।


 उप खण्ड अधिकारी
 शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

श्री जयपुर न्यायालय, शाहपुरा उपखण्ड, जयपुर, राजस्थान
 डा. 302001